FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

नूरमोहम्मद वगै0 बनाम शेरूखां वगै.

किस्म मुकदमा :—प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 60/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
23-12-2022	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 19.12.22 को की गई बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा में इस प्रकरण से संबंधित एक और प्रकरण धारा 145 सीआरपीसी का भी जैरकार है जो कि प्रार्थीया स्वंय सकीना ने पुलिस थाना में प्रार्थनापत्र देकर प्रस्तुत करवाया है जिससे उक्त भूमि के विवादित होने की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है और वादगत भूमि भी हमारी बंदोबस्ती पुश्तैनी भूमि है व कब्जा काश्त में है इसलिए यदि मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन नहीं होता है तो कानूनी पेचीदगियां बढ़ेगी और अपूर्तिनीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ताःफैसला स्थगन आदेश फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी सं0 1/1 ता 1/4 व 5 अधिवक्ता ने प्रस्तुत दस्तावेज व नजीरों का हवाला देकर गिफ्ट में प्राप्त उक्त भूमि पर एक खातेदार के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश को जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे जवाबप्रार्थनापत्र स्वीकार कर उक्त स्थगन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब प्रार्थनापत्र अवलोकन, अध्ययन व दिनांक 19.12.22 को की गई बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित इसका फैसला मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि को लेकर पूर्व में भी लड़ाई झगड़े हुवे है और यह बात पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने भी अपनी बहस में स्वीकार की है। इसलिए वादगत भूमि को लेकर लड़ाई—झगड़े ना हो एवं वादविवाद ना बढ़े ताकि पक्षकारों का कानूनी	

	पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 6 के.एच.एम. के मु0नं0 96/40 के किला नं0 15 ता 19, 22 ता 25 तादादी 9.00 बीघा मु0नं0 96/63 के किला नं0 1,2,4,7,14,16,17,24,25 तादादी 9.00 बीघा मु0नं0 97/33 के किला नं0 2 ता 5,7,9 तादादी 6.00 बीघा मु0नं0 97/17 के किला नं0 1 ता 7 तादादी 7.00 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 30.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि पर दिनांक 21.07. 2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	